FORM 1
(for linear projects)
Government of India
Office of the District Collector Pauri

No. 1160/26-प्रशा० अधि० (सा०प्रशा०)2017 Dated 22-9-2017

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Enviroment and Forests (M0EF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialted and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.628 hectares of forest land proposed to be diverted in fovour of **Rural Development Deparmtment** (name of user agency) for **Road Construction** (purpose for diversion of forest land) in **Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Khamana** Villages(s) in **Lansdowne** tehsils.

(a) The complete process for identificaton and stettlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.628** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 1 to annexure 4.**

(b) The diversion of forest land for facilities manged by the Goverment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposal does not invovle recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communites.

Encl.: As Above

(Sushil Kumar)
District Collector Garhwal
Pauri Garhwal

DM/Collector
Garhwal

C:\USERS\DM\DOWNLOADS\KHAMANA.DOCX

Scanned with CamScanner

Annexure -II

FORM 1
(for project of other linear projects)
Government of India
Office of the District Collector Pauri

No 1160/26 प्रशा० अधि० (सा०भ०सा०) 2017 Dated 22/09/2017

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Enviroment and Forests (M0EF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initialted and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that **1.628** hectares of forest land proposed to be diverted in fovour of **Rural Development Deparmtment** (name of user agency) for **Road Construction** (purpose for diversion of forest land) in **Pauri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Khamana** villages(s) in **Lansdowne** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identificaton and stettlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.628** hectares of forest Land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 1 to annexure 4.**

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in verncular/ local languages) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA,

(c) The each of concerned Gram Shabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have been given their consent to the proposed diverision and the compensation and amelioratie measures, if any,having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy certificate issued by the gram sabha of **Khamana** villages(s) is enclosed as annexure **annexure 1 to annexure 4.**

(d) The discussion and dicision on such proposals had taken case only when there was a quorum of minimum 50% of the member of gram shabha present.

(e) The diversion of forest land for facilities manged by the Goverment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) The Right of primitive travel group and pre agriculture communities when applicable have been specifically safeguarded as per saction 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As Above

(Sushil Kumar)
District Collector Garhwal
Pauri Garhwal

ANNEXURE... DM/Collector.....
Garhwal

C:\USERS\DM\DOWNLOADS\KHAMANA.DOCX

Scanned with CamScanner

Pauri Garhwal

ANNEXURE......................

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT:- GARHWAL PAURI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Pauri Garhwal** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Sushil Kumar I. A.S deputy commissioner Garhwal on dated 22-9-17 at time 11:00 AM at Pauri in which application claiming rights in .... area measuring **1.628** hect for the construction of **Paukhal Mandulu Motor Marg to Khamana Motor Marg (4.875 K.M.)** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Lansdowne** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Pauri
Dated: 22-9-2017

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee.
DM/Collector
Garhwal

H:\MANOJ PANWAR\FOREST MEETING\FOREST MEETING MAY TAK\FRA & O\NEW FOLDER\E.DOCX

Scanned with CamScanner

It is Further Certified that - Minutes of Meeting of Construction of **Paukhal Mandulu Motor Marg to Khamana Motor Marg (4.875 K.M.)** regarding FRA is as following :

Ser. No.		Remark
(a)	The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA had been Carried out for the entire **1.628** hectares of forest area proposed for Diversion. A copy of record of all Consultations and meeting of the forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No Objection Certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन
लैन्सडौन

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०
कोटद्वार पौडी (गढ़वाल)

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी
गढ़वाल(पौड़ी)

H:\MANOJ PANWAR\FOREST MEETING\FOREST MEETING MAY TAK\FRA & O\E.DOCX

Scanned with CamScanner

प्रपत्र 30.3

परियोजना का नाम :– जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित **पौखाल मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग विकासखण्ड द्वारीखाल तहसील लैन्सडौन** की भूमि अधिग्रहित।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, लैन्सडौन

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, लैन्सडौन

उपखण्ड **लैन्सडौन** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **पौखाल मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग (0.00 हे0 आरक्षित वनभूमि, 1.628 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल 1.628 हे0 वनभूमि का पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड कोटद्वार** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **लैन्सडौन**) की दिनांक 16/12/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सोहनसिंह सैनी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री सोहन सिंह –उपजिलाधिकारी – लैन्सडौन ––––––अध्यक्ष
उप जि० म० एस०
लैन्सडौन (गढ़वाल)

2– श्री गिरीशचन्द्र बेलवाल –उप प्रभागीय वनाधिकारी––––––––सदस्य
उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

3– श्री कपिल कुमार –सहायक समाज कल्याण अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी(समाज)/सचिव
सहायक विकास अधिकारी (स०क०)
विकास खण्ड द्वारीखाल
पौडी गढ़वाल

4– श्री मुन्नी देवी –बी0डी0सी0 क्षेत्र ––––––––––––सदस्य
क्षे0 प0 सदस्य
17 ...
विकास खण्ड द्वारीखाल

Scanned with CamScanner

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **पौखाल मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग** परियोजना हेतु. **1.628** हे0 वन भूमि **पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड कोटद्वार** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु पत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वनप्रभाग लैन्सडौन** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **लैन्सडौन** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **पौखाल मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु **1.628 हे0** वन **भूमि पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड कोटद्वार** प्रयोक्ता एजन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-- लैन्सडौन
जनपद-- पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि :-- जिलाधिकारी, पौडी गढवाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-- लैन्सडौन
जनपद-- पौड़ी गढ़वाल

Scanned with CamScanner

प्रपत्र –30.4

परियोजना का नाम :– जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित **पौखाल मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग विकासखण्ड द्वारीखाल तहसील लैन्सडौन** की भूमि अधिग्रहित।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....खमाणा....

तहसील लैन्सडौन, जिला पौडी गढवाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला पौडी गढवाल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में **पौखाल मांडलू मोटर मार्ग से खमाणा मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु **(0.00 हे0 आरक्षित वनभूमि, 1.628 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल 1.628 हे0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग** / संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....खमाणा.... द्वारा दिनांक ..14-12-16.. को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि मे आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही । उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है ।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि **ग्राम खमाणा** के ग्रामवासियों को उक्त **वनभूमि 1.628 है0** प्रयोक्ता ऐजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम सभा खमाणा तहसील ... जिला पौड़ी गढ़वाल

ग्राम सचिव (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत ....खमाणा.... वि0ख0 द्वारीखाल) ग्राम प्रधान

नोट: यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

Scanned with CamScanner

प्रपत्र 30.5

दिनांक 15/12/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खमाना

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	भवानी दत्त लखेड़ा	[illegible]
2	गणेश सिंह	गणेश
3	रमेशचन्द	रमेश
4	वीरेन्द्र कुमार	वीरेन्द्र
5	गुड्डी देवी	गुड्डी देवी
6	सूरज कुकरेती	सूरज कुकरेती
7	ध्यान सिंह	ध्यानाम
8	सुमति देवी	
9	सुनील सिंह	सुनीलसिंह
10	जुड़ा देवी	
11	विद्यादत्त	[illegible]
12	श्यामासिंह	श्यामासिंह
13	बाला देवी	उमा देवी
14	दमयन्ती देवी	दमयन्ती
15	उमा देवी	उमा देवी
16	भगवती प्रसाद	[illegible]
17	जयानन्द	जयानन्द
18	निर्मला देवी	निर्मला देवी
19	विमला देवी	विमला देवी
20	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
21	उर्मिला देवी	उर्मिला देवी
22	कृपालसिंह	कृपालसिंह
23	सत्य प्रकाश दास	सत्य प्रकाश दास
24	देवेन्द्र प्रसाद	देवेन्द्र प्रसाद
25	विद्याता देवी	विद्याता देवी
26	सकलानन्द कुकरेती	सकलानन्द कुकरेती
27	विनोद कुमार	विनोद कुमार
28	दिनेश चन्द	दिनेश चन्द
29	चन्द्रमोहन लखेड़ा	[illegible]
30	सुभाषचन्द्र	सुभाषचन्द्र
31	सुशीलचन्द	सुशीलचन्द
32	मदनमोहन लखेड़ा	मदनमोहन
33	शशिमोहन	शशिमोहन
34	खुशीलाल लखेड़ा	खुशीलाल लखेड़ा
35		
36		

Scanned with CamScanner